

10/11/19

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल

अनुसूचि 14 फार्म सं०-162

मो० मुमताज अंसारी  
बनाम  
सफीक मियां वगै०

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्ताक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख.....जिला-साहेबगंज

किमिनल मिस केस.....733/2018.....सन्.....

केस के प्रकार-धारा 145 द०प्र०स० के अधीन

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

18/12/18

आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि राजमहल थाना अंतर्गत मौजा-घाट सेखाचक नं०- 10 के

07/11/19  
19/11/19  
23/2/19

ज०नं०	दाग नं०	रकवा
13 नया ज०नं० 381	767 नया दाग नं० 426	00-09-14

जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इससे मैं संतुष्ट हूँ कि पक्षों के द्वारा सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। अतएव उभय पक्षों के विरुद्ध द० प्र० स० की धारा 145 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर बजरिये नोटिश किसी भी व्यक्ति को विवादित भूमि पर जाने से रोकते हुए निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 07/11/19 को मेरे न्यायालय में उपस्थित हो कर लिखित बयान दाखिल करें।

निर्धारित तिथि को नोटिश के तामिला के साथ अभिलेख प्रस्तुत करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी  
राजमहल

कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
राजमहल

07/11/19

नोटिश तामिला प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख दिनांक 19/11/19 को रखा।

19/11/19

प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 23/2/19 को रखा।

23/2/19

प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 07/11/19 को न्यायालय में आवेदन देकर कहा है कि उपर विवादी भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है। अतएव दाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

11/6/20

अनु० 6/20